

प्रषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1, देहरादून: दिनांक 1 सितम्बर, 2019
विषय:- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में
कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा
गौरा योजना" के क्रियान्वयन/संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1082/XVII(4)/2017-02/2009-TC, दिनांक 15.06.2017 द्वारा कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग, अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्धि, बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" प्रारम्भ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप को अतिक्रमिit करते हुए निम्नानुसार योजना संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- "नन्दा गौरा योजना" का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैगिंग असमानता को दूर करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सहायित इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं/लाभार्थियों को प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी पात्र परिवार की 02 जीवित बालिका (कोई भी 02 जीवित बालिका) को लाभ दिया जायेगा। दिनांक 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए योजना का लाभ लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले परिवारों को निम्नवत् आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी:-

क0स0	चरण	धनराशि	माध्यम
1	बालिका के जन्म पर	₹11000/-	बालिका/लाभार्थी के माता के खाते में ई0पेमेन्ट के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। बालिका के जन्म के 06 माह के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2	कक्षा 12 उत्तीर्ण एवं अविवाहित होने पर (अंक तालिका/प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक)	₹51000/-	बालिका/लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में 30 नवम्बर तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।

R.D. (Mrs. Sujata)
कृषि सत्री जनपद
तारीकी

निदेशक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
19-07-17 उत्तराखण्ड देहरादून

जी वी
के. लाल (कृषि)
मि. ए. मि. मि.
मि. ए. मि. मि.

(क) बालिका के जन्म लेते ही "जीरो बैलेन्स नो क्लियरेन्स" के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में उसकी माता के साथ संयुक्त खाता खोले जाने का, माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के साथ एवं माता पिता दोनों के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त खाता खोले जाने तथा खाता आधार नम्बर से लिंक होना अनिवार्य होगा। कक्षा 12 उत्तीर्ण (अविवाहित) बालिका/लाभार्थी का स्वयं का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा।

- (ख) प्रथम चरण ₹ 11000/- की धनराशि बालिका के जन्म लेने के 06 माह के अन्तर्गत आवेदन करने के उपरान्त संयुक्त खाते में ई-पमन्ट के द्वारा भर्ती जायेगी। बालिका के जन्म के प्रमाण पत्र हेतु संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षित दाई द्वारा कराये गये प्रसव को संस्थागत प्रसव नहीं माना जायेगा।
- (ग) जन्म के तहत लाभ पाने वाली कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/ए0एन0एम0 सेन्टर में ही होना चाहिए। (सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल अन्य प्रदेशों के भी मान्य होंगे) इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (घ) द्वितीय चरण ₹ 51000/- की धनराशि कक्षा 12 उत्तीर्ण (अविवाहित) (उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र आवश्यक) बालिका/लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।
- (ङ) नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये बालिका के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹ 72000/- (₹ 6000/-मासिक) तक मान्य होगी। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) प्रथम चरण के लाभार्थी (जन्म के समय) जिनको समय-2 पर जारी शासनादेशों के तहत लाभान्वित किया जा चुका है, उनको प्रथम चरण (जन्म का लाभ) से पुनः लाभान्वित नहीं किया जायेगा परन्तु शासनादेश संख्या-1082 दिनांक 15.06.2017 के अन्तर्गत प्रथम चरण का लाभ प्राप्त पाने वाले बालिकाओं/लाभार्थियों को जिस चरण का लाभ पाने का पात्र है, उसी चरण के लाभ से लाभान्वित किया जायेगा। यथा-जो बालिका 01 जुलाई, 2017 को जन्म लेती है तो उसे 01 जुलाई, 2018 को एक वर्ष पूर्ण करने का लाभ दिया जायेगा।
- (छ) द्वितीय चरण (12 वीं उत्तीर्ण होने पर) के उन्हीं लाभार्थियों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया जायेगा जिनके द्वारा वर्ष-2019 या आगामी वर्षों में 12 उत्तीर्ण किया गया है/किया जायेगा।
- (ज) द्वितीय चरण (12 वीं उत्तीर्ण होने पर) के लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थागत प्रसव, आगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र से छूट प्रदान कि जायेगी, किन्तु उनको अविवाहित होने का स्वघोषित सामान्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3- नन्दा गौरा योजना के तहत बालिकाओं/लाभार्थियों को लाभ दिये जाने की प्रक्रिया हेतु जिला स्तरीय समिति में निम्नवत् सक्षम प्राधिकारी होंगे:-

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य-सचिव
3. जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)	सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
5. मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(या उनके द्वारा नामित अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी)	
6. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य

4- इस योजना में जन्म के समय प्राप्त हान वाले लाभ के लिए बालिका के माता-पिता को सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र बालिका के जन्म के 06 महीने के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (निर्धारित समयवधि के उपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे)। योजना हेतु आवेदन पत्र समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/मिनी केन्द्रों तथा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होंगे तथा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

- (क) उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास होने विषयक प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा।
- (ख) तहसीलदार द्वारा जारी अधिकतम ₹72000/- वार्षिक (₹6000/- मासिक) तक का निर्धारित प्रारूप पर आय प्रमाण पत्र।
- (ग) कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/ए0एन0एम0 सेन्टर में होने का प्रमाण पत्र। (केवल जन्म के समय लाभ लेने हेतु)
- (घ) कन्या शिशु के जन्म से पूर्व माता का पंजीकरण गर्भावस्था के दौरान आंगनवाडी केन्द्र में कराया गया हो व माता द्वारा विभागीय योजनाओं का लाभ जैसे-पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकर्त्री/मिनी कार्यकर्त्री द्वारा दिया गया हो। (केवल जन्म के समय लाभ लेने के लिए)
- (च) 12 वीं उत्तीर्ण होने पर दिये जाने वाले लाभ के लिये उत्तराखण्ड/अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0सी0 बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली (NIOS) से उत्तीर्ण होने वाली बालिकायें ही पात्र होंगी।
- (छ) बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, राज्य सरकार द्वारा सहायित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को 12 वीं उत्तीर्ण होने के उपरान्त लाभ लेने के लिये जन्म प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र या माता-पिता के नाम की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी।

5- विभागान्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालयों में नन्दा गौरा योजना की अलग से पंजिका बनायी जायेगी, जिसमें समस्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का तिथि अनुसार क्रमवार अंकन किया जायेगा। पंजिका की क्रम संख्या का अंकन लाभार्थी को दी जाने वाली रसीद में भी अंकित करना होगा। बजट की प्रत्याशा में "पहले आओ-पहले पाओ" के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।

6- योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों/बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु दिनांक 01 जुलाई, 2017 से दिनांक 17.02.2019 तक 07 चरणों के छूटे हुए लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किये जाने के लिये आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 30.11.2019 तक विस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-895/XVII(4)/2019-02/2009-TC दिनांक 27.08.2019 द्वारा स्वीकृति निर्गत की गई है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भुवदीया,
(सौजन्या)
सचिव।

संख्या (1)/XVII/2018-02/2009-TC तददिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबर्षॉय बिल्डिंग, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, बैंकिंग सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
16. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(झरना कमठान)
अपर सचिव।